IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
आफिस काम्पलैक्स, सेक्टर–9,
शास्त्री नगर, मेरठ।

पत्रांक- 464 /वा०नि०- प्रथम/पी.एम.ए.वाई. दिनांक- 11/10/2018

पंजावली संख्या......
क्रमांक...... 146
डायरी नं०...... 2279
तारीख...... 17-10-18

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड-6,
ऊ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
ऑफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर,
मेरठ।

विषय- **जाग्रति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ में 45.00 मी० चौड़ी सड़क गढ़ रोड पर आवास योजना के संयुक्त ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-1511/दिनांक-17.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जाग्रति विहार योजना संख्या-11, विस्तार में 45.00 मी० चौड़ी गढ़ रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों के नियोजन हेतु कुल 4.024 हेक्टेयर भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे प्लान उपलब्ध करते हुए संयुक्त ले-आउट प्लान तैयार करने का अनुरोध किया गया एवं जिसमे मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन 03 ब्लॉकों को भी अंकित किया गया है, उपरोक्त पत्रों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उक्त ले-आउट प्लान के अंतर्गत कुल 29 नग ब्लॉकों सहित 1392 नग फ्लैट्स का नियोजन करते हुए संयुक्त ले-आउट प्लान तैयार कर कार्यालय पत्रांक-448/दिनांक-29.09.2018 द्वारा फिजिबिलिटी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में आपके पत्रांक-1622/दिनांक-03.10.2018 द्वारा फिजिबिलिटी आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसके आधार पर योजना संख्या-11, विस्तार में 45.00 मी० चौड़ी गढ़ रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 29 नग ब्लॉकों सहित 1392 नग जी+3 फ्लैट्स का नियोजन करते हुए संयुक्त ले-आउट प्लान तैयार कराकर यथाअनुमोदित दिनांक- 09.10.2018 की दो प्रतियाँ अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

AE

EE 11/10/18

भवदीय
11/10/18
(श्याम रतन यादव)
वास्तुविद नियोजक

पृ०सं०- 464 /उक्त/ दिनांक- 11/10/2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१- मुख्य वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ।

२- अधीक्षण अभियंता (प्रो०), ऊ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

३- अधीक्षण अभियंता, द्वीतीय वृत्त, ऊ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, ऑफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ को मानचित्र की एक प्रति सहित।

वास्तुविद नियोजक 11/10/18

S Khushali OE

NH

23/10/18 AE

JE

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

पी.एम.ए.वाई.–प्रकोष्ठ

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

ई–मेल आईडी: pmay@upavp.com; दूरभाष: 0522–2235904.

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांकः– 1225 /पी.एम.ए.वाई.–प्रकोष्ठ/2020 ( ) दिनांकः– 04-06-2020

सेवा में,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत भवनों की सीलिंग कास्ट शासनादेश सं0–20/2020/532/आठ–1–20–80विविध/2010 दिनांक 18.03.2020 द्वारा रू0 4.50 लाख से बढ़ाकर रू0 6.00 लाख प्रति भवन किये जाने के फलस्वरूप परिषद की सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के पंजीकरण बढ़ी हुई लागत पर खोले जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त (म0) सहमति प्रदान किये जाने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–1169/पीएमएवाई–प्रकोष्ठ/2020 दिनांक 01.06.2020 द्वारा कुल 25 नग परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराते हुए पंजीयन संख्या से पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रश्नगत योजना के भवनों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं संयुक्त/उप आवास आयुक्त द्वारा प्रेषित आख्याओं पर आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 04.06.2020 को समीक्षा की गयी, जिसमें जनपद–कौशाम्बी व अम्बेडकरनगर एवं लखनऊ में (सरोजनीनगर) तथा जनपद–फिरोजाबाद की परियोजनाओं के पंजीकरण न खोले जाने के निर्देश दिये गये।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने वृत्त के अधीन संलग्न सूची में अंकित 21 नग परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का रेरा में तत्काल पंजीयन कराते हुए भवनों के पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत भवनों के पंजीकरण यथाशीघ्र पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय द्वारा खोले जा सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए.के. शुक्ला)

मुख्य अभियन्ता

पृ0संख्याः–संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्यालय, लखनऊ।

2– संयुक्त आवास आयुक्त (पंजीकरण) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3– समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

मुख्य अभियन्ता

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण खोले जाने हेतु जनपदवार प्रस्तावित भवनों की सूची

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रू0 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	द्वितीय	मेरठ (जागृति विहार योजना)	816	96
2	तृतीय	गोण्डा	396	396
3	तृतीय	बहराइच (भिन्गा मार्ग योजना)	192	48
4	तृतीय	मऊ	192	48
5	तृतीय	बलरामपुर	288	48
6	तृतीय	बाराबंकी	288	48
7	चतुर्थ	इटावा (स्पिनिंग मिल योजना)	192	48
8	चतुर्थ	फतेहपुर (अन्दौली)	624	96
9	चतुर्थ	बांदा	240	48
10	चतुर्थ	कानपुर देहात	480	48
11	चतुर्थ	कन्नौज (छिबरामऊ)	96	48
12	पंचम	मुरादाबाद (मझोला योजना) से0–6	528	96
13	पंचम	मुरादाबाद (मझोला योजना) से0–15	1200	144
14	षष्टम	हाथरस	144	48
15	षष्टम	मैनपुरी	528	96
16	वृन्दावन	लखनऊ (कनकहा, मोहनलालगंज)	720	720
17	वृन्दावन	हरदोई	528	96
18	वृन्दावन	रायबरेली	528	96
19	मुख्यालय	उन्नाव	240	48
20	वृन्दावन	लखनऊ (अवध विहार योजना, पाकेट–2)	576	96
21	मण्डोला	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना)	6000	624
		योग	14796	3036

AE

EE. 17-4